भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 497

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

धोखाधड़ी करके चंपत होने वाली कंपनियां

***497 डॉ. कुलमणि सामलः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ऐसी विभिन्न वित्तीय, प्लांटेशन और अन्य कंपनियों की धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र/विद्यमान संविधियों में प्रावधान है, जो लोगों से विगत वर्षों के दौरान हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चंपत हो गई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा कितनी कंपनियों का निरीक्षण किया गया है; और
(ग) उक्त कंपनियों की ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

धोखाधड़ी करके चंपत होने वाली कंपनियों से संबंधित दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 497 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वित्तीय और प्लांटेशन कंपनियों सहित धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के विरूद्ध विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के माध्यम से कार्रवाई करना सतत् और नियमित प्रक्रिया है। इस संबंध में, सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से जांच करने हेतु 185 कंपनियों की पहचान की है। इनमें चिट फंड/बहु-स्तरीय विपणन/जनता से अवैध रूप से धनराशि एकत्र करने में पोंजी गतिविधियां शामिल हैं। ऐसी 185 कंपनियों का विवरण अनुलग्नक-क पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम के तहत 301 कंपनियों की लेखा-बहियों और अभिलेखों की जांच के आदेश भी दिए हैं जिनका ब्यौरा अनुलग्नक-ख पर दिया गया है।

(ग): सरकार ने बार-बार होने वाली कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 में 'कपट' को एक मुख्य अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को उक्त अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट शासन और उसके कार्यान्वयन के अपेक्षाकृत कड़े मानक।

(iv) डाटा विश्लेषण, निगरानी और फोरेंसिक उपकरणों आदि के माध्यम से कपट का जल्दी पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

चिट फंड/पोंजी/बहुस्तरीय विपणन गतिविधियों में लिप्त कंपनियों के मामलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए जांच आदेशों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

2013-14

क्र.सं.	राज्य	उन कंपनियों की संख्या जिनके लिए जांच के आदेश दिए गए
1	पश्चिम बंगाल	57
2	असम	01
3	उत्तर प्रदेश	05
कुल		63

2014-15

क्र.सं.	राज्य	उन कंपनियों की संख्या जिनके लिए जांच के आदेश दिए गए
1	पश्चिम बंगाल	29
2	झारखंड	02
3	बिहार	02
4	ओडिशा	18
कुल		51

2015-16

क्र.सं.	राज्य	उन कंपनियों की संख्या जिनके लिए जांच के आदेश दिए गए
1	पश्चिम बंगाल	26
2	ओडिशा	08
3	महाराष्ट्र	05
4	पंजाब	01
5	राजस्थान	01
6	असम	06
कुल		47

2016-17

क्र.सं.	राज्य	उन कंपनियों की संख्या जिनके लिए जांच के आदेश दिए गए
1	महाराष्ट्र	01
2	पश्चिम बंगाल	19
3	ओडिशा	01
4	असम	03
कुल		24

*****

अनुलग्नक-ख

दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के मामले में दिए गए जांच आदेशों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	दिए गए जांच आदेशों की संख्या
2014-15	23
2015-16	161
2016-17	117
कुल	301

*****